

03/11/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारागार
हाजिर नहीं आये हैं। मार्च 2021 में
व्यावली साक्ष्य वादी में विचारार्थीन हैं।
साक्ष्य वादी ठंडा वावाह हाजिर नहीं हैं।
वकील पक्ष कारागार व वावाहन को
आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय
पर तीन-तीन घण्टे भायं 5 बजे तक
आवाजे लगावाये जाके पर भी हाजिर
नहीं आये हैं। आतम व्यावली अंतर्गत
आदेश-9 नियम-3 जाफा दीवानी के तहत
अदम हाजिर व अदम पेशी में हाजिर
एकारिज की जाती है। व्यावली पेशल
शुमार बेकर अंवर से कम की जाकर
कारकिल इफ्तार हो। नियम पर इजलास
सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सांकर लेक (जयपुर)

